जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक **मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स** की चाईना क्ले एवं सिलिका सैण्ड (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, रेफरेंस नं. 20231000091704 का कुल खनन् क्षेत्र 2.3095 हैक्टेयर एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 75.2017 हैक्टेयर है। रेफरेंस नं. 20231000091704 की प्रस्तावित खनन क्षमता – 1,70,325 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर की उत्पादन क्षमता 54,70,617.3 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम – टांगला, तहसील – जायल एवं जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, टांगला, तहसील–जायल एवं जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरणः–

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक 3512 दिनांक 27.05.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रंमाक RPCB/RO NGR/PUB-16/879-83 दिनांक 31.05.2024 के अनुपालना में **मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स** की चाईना क्ले एवं सिलिका सैण्ड (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, रेफरेंस नं. 20231000091704 का कुल खनन् क्षेत्र 2.3095 हैक्टेयर एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 75.2017 हैक्टेयर है। रेफरेंस नं. 20231000091704 की प्रस्तावित खनन क्षमता – 1,70,325 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर की उत्पादन क्षमता 54,70,617.3 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम – टांगला, तहसील – जायल एवं जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, टांगला, तहसील–जायल एवं जिला – नागौर मे आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) जायल

दिनांक 2 जून, 2024 (रविवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 2 जून, 2024 (रविवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री सचिन कुमार ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमती अभिलाषा, उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के महत्व, प्रावधान, उदेदश्य तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित कलस्टर खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि कुमार के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.ई.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्री सचिन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्रीमती अभिलाषा, उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) जायल

उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

जनसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय ने प्रस्तावित परियोजना का स्वागत किया।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित एवं मौखिक रूप में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमती अभिलाषा, उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री सचिन कुमार,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

श्रीमती अभिलाषा,
उपखण्ड अधिकारी,
जायल, जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.) जायल

उपस्थिति पंजिका

चाईना क्ले एवं सिलिका सैण्ड (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
(ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 व संशोधन के अन्तर्गत यह परियोजना बी–1 श्रेणी में आती है)

दिनाँक : 10.07.2024, समयः दोपहर 1:00 बजे
स्थान–राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, टांगला, तहसील–जायल एवं जिला – नागौर (राजस्थान)

आयोजक : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर (राजस्थान)
आवेदकः मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स
निवासी – रूनिया बुगारदा, तहसील–जायल,
जिला– नागौर (राजस्थान)

ग्राम – टांगला, तहसील – जायल एवं जिला – नागौर (राजस्थान)
रेफरेंस नं. 20231000091704 का क्षेत्रफल 2.3095 हैक्टेयर
कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 75.2017 हैक्टेयर
रेफरेंस नं. 20231000091704 की उत्पादन क्षमता – 1,70,325 टन प्रतिवर्ष (रोम)
कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 54,70,617.3 टन प्रतिवर्ष (रोम)
रेफरेंस नं. 20231000091704 की परियोजना लागत – 150 लाख
कलस्टर की परियोजना लागत – 3224.50 लाख
पर्यावरण अध्ययन की अवधि – अक्टूबर 2023 से दिसम्बर 2023

क्र.स.	नाम एवं मोबाईल नं.	पता	हस्ताक्षर
1	Smt. Abhilasha	Salm Jayal	[signature] 10/7/24
2	Sh. Sachin Kumar	Ro, Nagaur	[signature]
3	Sh. Tejraj Gaur	AEE, RSPCB Nagaur	[signature]
4	Shivdayal Godara 9549956601	Vibrant techno lab PVT Ltd	[signature]

5	जगदीश 8000388761	टांगला	जगदीश
6	दिनेशपुरी 6375113832	टांगला	दिनेशपुरी
7	नेमीचन्द धायल 9950009770	टांगला	नेमा
8	सौरभ कुमार 9636434565	टांगला	Shourbh
9	रामस्वरूप बेन्दा 9950466393	डेगाना	रामस्वरूप
10	पाबुराम कुंगालिया 9414583100	डेगाना	[illegible]
11	गोविन्द	टांगला	गोविन्द
12	लक्ष्मणसिंह	टांगला	लक्ष्मणसिंह
13	खुशबू विश्नोई मरवाड़ टांगला (8955244632)	मरवाड़ टांगला	Khushbu Vishnoi
14	दिनेश जाट 7875668627	टांगला	Dinesh
15	सहीराम मेघवाल 8239176001	टांगला	सहीराम
16	किसनाराम 9982321383	टांगला	किसनाराम
17	रामकिशोर 9785142313	टांगला	रामकिशोर
18	R.K. Mines 9571258784 हरीश	टांगला	[illegible]
19	सुरेन्द्र 8104110036	नागौर	[illegible]
20	शेराम 6377516767	बटाला	[illegible]
21	मुलाराम 9024603550	टांगला	मुलाराम
22	कालुराम 6378349626	गौरडी	कालुराम
23	पुखराज 9549459402	टांगला	पुखराज
24	सुरेन्द्र सिंह 6350659008	टांगला	सुरेन्द्र सिंह
25	सुरेन्द्र कड़वा 9664138059	टांगला	सुरेन्द्र
26	सुनील लोयल 8824718895	टांगला	Sunil

27	Shindeu 7734995193 Vibrent Techo Lab. pvt Ltd	नागौर	[signature]
28	विमल 9828860607 Vibrant Techolab pvt.	नागौर	[signature]
29	रवि कुमार 8005729139 Vibrent Techo Lab pvt.	नागौर	रवि
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

National Highways Authority of India
IRB KOTA TOLLWAY PRIVATE LIMITED

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE ON USER FEE (TOLL) RATES of Kota Bypass section from Sakatpura Toll Plaza at Km. Chainage 1055.217 near village Sakatpura Kota District, Rajasthan, and Nayagaon Toll Plaza at km. Chainage 1059.350 near village Nayagaon of Kota District, Rajasthan w.e.f. 03.06.2024 00:00:00 Hrs.

1. The public are hereby informed that pursuant to the Concession Agreement dated 12.01.2024, Fee Notification published in the Gazette vide S.O. No S.O. 1380(E) dated 15.03.2024 by MoRTH and approval of user fee rates vide NHAI letter no 604 dated 28.03.2024, the user fee for the use of section from km. 1052.429 to km. 1080.249 (road length – 27.82 Km) of NH-27 at Sakatpura & Nayagaon Toll Plaza, District KOTA, Rajasthan shall be as below w.e.f. 00:00:00 Hrs. 03.06.2024.

Schedule of User Fee at Sakatpura & Nayagaon Fee Plaza (at Km. 1055.217 LHS & 1050.350 RHS)

(Figure in ₹)

CATEGORY OF VEHICLE	FASTag Fee For Single Journey (In Rupees.)	FASTag Fee For Return (max. no of two one way) Journey within a day (In Rupees.)	FASTag Fee For Monthly Pass for 50 single journeys in a month [Ref Para 4(ii)] (in Rupees.)	FASTag Fee For Commercial vehicles registered in District (In Rupees.)
Car / Jeep / Van / Light Motor Vehicle	80	120	2650	40
Light Commercial Vehicle / Light Goods Vehicle / Mini Bus	130	195	4280	65
Bus / Truck (Two Axle)	270	405	8970	135
Three-Axle Commercial Vehicles	295	440	9785	145
Heavy Construction Machinery (HCM) / Earth Moving Equipment (EME) / Multi Axle Vehicle (MAV) (4 To 6 Axle)	420	635	14085	210
Oversized Vehicle (7 or More Axles)	515	770	17125	255

The rate for monthly pass applicable for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of 20 Km. from the Toll Plaza is Rs.340/- for the year 2024-25.

2. FASTag is mandatory across all NH Toll Plazas from 15.02.2021 as per GOI directive issued vide its circular dated 19.07.2019 & 29.11.2019 and user of the vehicle not fitted with "FASTag" or Vehicle without valid functional "FASTag" entering into Toll Plaza shall pay a Fee Equivalent to two times of Fee applicable to that category of vehicle as per NHAI letter No. NHAI/100% Fastag/2020 dated 04.12.2020 pursuant to Gazette Notification No. G.S.R.298 dated 15.05.2020.
3. The following concessions are available at above toll plaza. (For FASTag Users Only)
   (i) Return Journey within 24 hours from time of payment for all categories of vehicles (discount-25%).
   (ii) 50 or more single journeys in a month from date of payment for all categories of vehicles (discount-33%).
   (iii) Pass at Rs. 340/- per calendar month for non-commercial vehicles residing within 20 km. from Toll Plaza.
   (iv) Commercial Vehicle (excluding those plying under national permit) registered in the District of Toll Plaza (discount-50%).

   Note: Aforementioned Concessions can be availed only through GOI's FASTag Program as per NHAI Policy Circular No. NHAI/13013/CO/2019-20/147464 & NHAI Policy Guidelines/Management of Monthly Passes/2018, Policy No. 17.5.78 dated 16.02.2018.
4. The scheme of giving concessions may be viewed at http://nhai.org.in.
5. The list of exempted vehicles is as given in the Fee Notification no. GSR 950 (E) dated 3rd December 2010.
6. The Vehicle loaded in excess of permissible load, shall be liable to pay up to 10 times of the applicable User Fee based on percentage of excess load over maximum permissible GVW (Gross Vehicle Weight) & remove such excess load at their own cost & risk to make use of highway as per NH Fee (Determination of Rates & Collection) Amendment Rules 2013, 2015 & 2018 published by MoRTH vide Gazette Notification Nos. G.S.R. 778 (E) dated 16.12.2013, G.S.R. 220(E) dated 23.03.2015 & G.S.R 920 (E) dated 25.09.2018 and NHAI Policy Circular No. 11041/2018/2007-Admin dated 31.12.2015.
7. For viewing the fee notification No. S.O. 1380 (E) dated 15.03.2024 published in the Gazette and NHAI letter No. 604 dated 28.03.2024 containing approval of rates and provisions in the Concession Agreement, the website http://nhtis.org may be visited.
8. **Name and address are as under, for any enquiry and/or giving complaints/suggestions:**

	Concessionaire	Independent Engineer	PIU of NHAI
Name of Representative	Rakesh Kumar Kataria	Mr. Sushil Bhange	Sandeep Agrwal, General Manager (Technical) Project Director
Address	11th Floor, 1101 Heeranandani Knowledge Park, Powai, Mumbai, MH 400076	Highway Maintenance Cum Resident Engineer	NHAI Kota A-504, Indra Vihar Kota- 324005
Contact No's:	7976993035 Email: kbtot@irb.co.in	9356835116 Inmtlkotanh27@gmail.com	Ph: 0744-2406315 http://www.nhai.gov.in

ICICI Bank

Branch Office: ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Nagar JLN Marg-Jaipur- 302017

PUBLIC NOTICE – TENDER CUM E-AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

[See proviso to rule 8(6)]
Notice for sale of immovable assets

This E-auction Sale notice for sale of immovable assets is being issued by ICICI Bank Ltd. (on underlying pool assigned to ICICI Bank by Dewan Housing Finance Ltd.) in relation to the enforcement of security in respect of a housing loan facility granted pursuant to a loan agreement entered into between DHFL and the following borrower(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Ltd. will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis as per the brief particulars given hereunder:

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co-Borrowers/ Guarantors/ Loan Account No.	Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any	Amount Outstanding	Reserve Price / Earnest Money Deposit	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of E-Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Naresh Vaishnav (Borrower), Anita Vairagi (Co-Borrower), Loan A/c No. QZUDP00005020649	Flat No. 402, Block A, Fourth Floor, Situated at Plot No. 31, Village Titardi, Khasra No. 50, 51, Sai Amrit, Titardi, Udaipur, Rajasthan- 313002 Area: 495 Sq.ft	Rs. 10,56,588/- as on May 27, 2024.	Rs. 10,47,000/- / Rs. 1,04,700/-	June 07, 2024 from 11:00 A.M to 02:00 P.M	July 01, 2024 from 11:00 AM to 12:00 Noon

The online auction will take place on the website of e-auction agency C1 India Pvt. Ltd. (URL Link https://www.bankeauctions.com). The Mortgagors/ noticee are given a last chance to pay the total dues with further interest till June 29, 2024 before 05:00 PM failing which, this/these secured asset/s will be sold as per schedule.

The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Nagar JLN Marg- Jaipur- 302017 on or before June 29, 2024 before 05:00 PM and thereafter they need to submit their offer through the above mentioned website only on or before June 29, 2024 before 05:00 PM, along with scan image of Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. Kindly note, in case prospective bidder(s) are unable to submit their offer through the website then signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd. Regional Office JSEL Building, Malviya Nagar JLN Marg- Jaipur- 302017 on or before June 29, 2024 before 05:00 PM. Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/ Scheduled Bank in favour of "ICICI Bank Limited" payable at Jaipur.

For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the e-auction or submission of tenders, kindly contact ICICI Bank Limited on 9252097970.

Please note that Marketing agencies 1. NexXen Solution Private limited 2. Augeo Asset Management Pvt Ltd 3. Hecto Proptech Pvt. Ltd. have also been engaged for facilitating the sale of this property.

The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.

For detailed terms and conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date: June 01, 2024
Place: Udaipur

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways of India)
UCHIT Expressways Private Limited (PIU-Udaipur)
UEPL

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES APPLICABLE FROM 00:00:00 Hrs of 03.06.2024

The public are hereby informed that pursuant to approval of revised User Fee rates vide letter no. 2057 dated 23-03-2024 and letter no. 335 dated 30-05-2024 of NHAI, the User Fees for use of section from Km. 214.870 to Km. 308.370 (Chittorgarh-Udaipur Section) of NH-48 (NH-76) are going to be revised as under w.e.f. 00:00 Hrs. of 03.06.2024.

NARAYANPURA TOLL PLAZA (Km. 261+770 Narayanpura Village, Udaipur District) in the State of Rajasthan

Total Length of 93.500 Km of road length (Amount in Rs.)

Sr. No.	Category of Vehicle	Fee for Single Journey	Only through FASTag: Fee for Return Journey (valid for 24 Hrs from the time of payment)	Fee for Monthly Pass for 50 Single Journeys in a month	Fee for Commercial Vehicles registered within the district of plaza (Rs)
1	Car/Jeep/Van/Light Motor Vehicle	140	210	4705	70
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	230	340	7605	115
3	Bus or Truck (2-Axles)	480	715	15930	240
4	3 Axle Commercial vehicles	520	780	17380	260
5	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (4 to 6 Axles)	750	1125	24985	375
6	Oversized Vehicle (7 or more Axles)	910	1370	30415	455

As per GSR 298 dated 15.05.2020 user of the vehicle not fitted with "FASTag" or vehicle without valid, functional "FASTag" entering into "FASTag lane" of the Fee plazas shall pay a fee equivalent to two times of the fee applicable to that category of vehicles.
1. The following concessions are available at above Toll Plaza: (I) Return Journey within 24 hours from time of payment for all categories of vehicles (One and half times of the fee for the one-way journey (Through FASTag only as per Policy Circular NHAI/13013/CO/2019-20/147464 dated 15.01.2020). (II) Monthly pass for 50 single journeys in a month from date of payment for all categories of vehicles (Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys). (III) Pass at Rs. 340/- per calendar month for local Non-Commercial vehicles (person who owns a mechanical vehicle) residing within a distance of 20 Km from the Toll Plaza. Note: Aforementioned Concessions can be availed only through FASTag as per NHAI Policy Circular No.NHAI/13013/CO/2019-20/147464 dt. 15.01.2020 & NHAI Policy Guideline/Management of Monthly Passes/2018, Policy No. 17.5.78 dt. 16.02.2018. **2.** The list of exempted vehicles is given in the Amendment notification G.S.R.950(E) dated 03.12.2010. **3.** Vehicles loaded in excess of permissible load shall be liable to pay up to 10 times of the applicable User Fee as per G.S.R.920(E) dt. 25.09.2018 and Fee Notification dated 20.06.2017. **4.** For viewing the Fee Notification dated 20.06.2017 published in the Gazette, letter of NHAI dated 3743 dated 22-03-2022 of NHAI containing approval of revised User Fee & provisions in the Concession Agreement, the website http://tis.nhai.gov.in/may be visited. **5.** For any enquiry and/or giving suggestions/complaints, please reach us at any of the contact details provided below.

Concessionaire	Independent Engineer	NHAI
Project Head : M/s. UEPL	Team Leader: M/s. L. N. Malviya Infra Project Pvt. Ltd.	Project Director: PIU - Udaipur
Sh. Surya Pratap Singh	Sh. Satya Narayan Tiwari	Sh. Harish Chandra
+91 8449210001	+91 7999108478	0294 - 2428094

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
(A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, (CIN L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE]

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002 (54 of 2002)) and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with (rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 10-Oct-22 Calling upon the Borrower MAA KRIPA JEWELLERS (Borrower) RAM DAYAL SONI (Co-Borrower) (Loan Account No. L9001060822725053) to repay the amount mentioned in the notice being for Rs. 471091/- (Rs. Four Lac Seventy-One Thousand Ninety-One Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 29 Day of May of the Year 2024. The borrower/ co-borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for an amount of for for Rs. 471091/- (Rs. Four Lac Seventy-One Thousand Ninety-One Only) as on 10-Oct-22 and interest and expenses thereon until full payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Building/ Structure and fixtures Property Situated At Gram Panchayat PATTA NO 025 MISSIAL NO 03 20 04 15 BILARA Jodhpur RAJASTHAN Admeasuring 99.09 Sqyds owned by RAM DAYAL SONI

Date : 29-May-24
Place : Jodhpur, RAJASTHAN

-Sd-
Authorised Officer
Au Small Finance Bank Limited

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
LiFE

[illegible] ई-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

दिनांक 31/05/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] Ref. No- 20231000091704 [illegible] 765/245 [illegible] 75.2017 हेक्टेयर [illegible] 1,70,329 TPA (ROM) (Saleable of China Clay- 96660 TPA, Saleable of Silica Sand- 44047.5 TPA & Waste- 29617.5 TPA) [illegible]
2. [illegible] 1533 दिनांक 14.09.2006 [illegible] 15.01.2016 [illegible]
3. [illegible] EIA/EMP Report [illegible]
   1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. [illegible]

[illegible] 2023/3512 दिनांक 27.05.2024 [illegible] 10.07.2024 को दोपहर 01.00 बजे [illegible]

भवदीय (सचिन कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
[illegible] राजसमन्द 313324
Website: www.environment.rajasthan.gov.in E-mail: rorpcb.rajsamand@gmail.com
दिनांक : 30/05/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

[illegible]

(आशीष कुमार बोराणी) क्षेत्रीय अधिकारी

National Highways Authority of India
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAY)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES AT **BARKHEDA- CHANDLAI TOLL PLAZA**, APPLICABLE FROM **3rd June, 2024 at 00.00 Hrs.**

The public are hereby informed that pursuant to approval of revised user fee rates vide letter no. 3008, dated 23.03.2024 of NHAI, the user fee rates for use of stretch length 78.560 Kms on Jaipur- Deoli NH-12 are going to be revised as under w.e.f. 3rd June, 2024 at 00.00 Hrs at Barkheda Chandlai toll plaza (Km 30.500) near Village Chandlai District Jaipur, in the state of Rajasthan

(Figure in ₹)

CATEGORY OF VEHICLE	FEE FOR SINGLE JOURNEY	FEE FOR RETURN JOURNEY WITHIN A DAY	FEE FOR MONTHLY PASS VALID FOR 50 JOURNEYS
Car, jeep, van or Light motor vehicle	120.00	180.00	4025.00
Light commercial vehicle, Light Goods vehicle or Mini bus	190.00	285.00	6370.00
Bus or Truck (Two axle)	395.00	595.00	13190.00
Heavy construction machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or multi axle vehicle (3 to 6 axle)	610.00	920.00	20415.00
Oversized vehicle (seven or more axles)	765.00	1145.00	25490.00

The rates for monthly fee applicable for local non-commercial vehicle resides within a distance of 20km from the toll plaza for the year 2024-25 shall be Rs. 340.00/- (for Fastag users only).

1. The above rates are applicable for a completed length of 78.560 km, which comprises of 59.260 km road length, 19.300 km of bypass costing Rs. 64.500 Crores.
2. The following concessions are available at above toll plaza through Valid FASTAG:
   (i) Return Journey within 24 hours from time of payment for all categories of vehicles (discount 25% for Fastag users only).
   (ii) 50 or more single journeys in a month from date of payment for all categories of vehicle (discount 33% for Fastag users only).
   (iii) Monthly fee at Rs 340/-per calendar month for non commercial vehicle residing within 20km from Toll plaza (for Fastag users only).
3. All kind of concessions are available through Fastag. For more details, please visit website of Authority www.tis.nhai.gov.in.
4. Exemption from the user fee is applicable through Fastag as prescribed in the User Fee Notification. For more details please visit website of Authority www.tis.nhai.gov.in.
5. The vehicle which is loaded in excess of permissible load, shall pay as per MoRT&H Gazette Notification dated 25.09.2018.
6. As per concession Agreement dated 16th Dec 2009 the concession period ends on 13th June 2035. On expiry of the Agreement specified under sub-rule (3) of rule 3, the fee levied shall be collected by the Central Government or executing authority as the case may be.
7. For viewing the fee notifications dated March 08, 2013, March 04, 2016 published in the Gazettes & letter no. 3008 of NHAI dated 23.03.2024 containing approval of revised rates and provisions in the concession agreement, the website http//nhaitis.org may be visited.
8. Name and address are as under, for any enquiry and /or giving complaints /suggestions:

	Concessionaire	IE	PIU of NHAI
Name of Representative	Rakesh Kumar Kataria	Priya Ranjan Kumar	Ajay Arya
Designation	(Sr. General Manager)	(Resident Engineer)	(Project Director)
Address	Barkheda Chandlai Toll Plaza, Main Tonk Road (NH-12) Near Shivdaspura Tehsil- Chaksu District Jaipur- 303903	Toll Plaza at Km. 286, Village. Thikariya, Post Office. Bad ke Balaji, Ajmer Road (NH-8), Jaipur- 302042	D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302 021.
Contact No's:	7976993035	9801380164	0141-2351427

IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD
IRB Jaipur Deoli Tollway Limited
Barkheda-Chandlai Toll Plaza

National Highways Authority of India
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAY)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES AT **SONWA TOLL PLAZA**, APPLICABLE FROM **3rd June, 2024 at 00.00 Hrs.**

The public are hereby informed that pursuant to approval of revised user fee rates vide letter no. 3008 dated 23.03.2024 of NHAI, the user fee rates for use of stretch length 70.210 Kms on Jaipur- Deoli NH-12 are going to be revised as under w.e.f. 3rd June, 2024 at 00.00 Hrs at Sonwa toll plaza (Km 105.000) near Village Sonwa, District Tonk in the state of Rajasthan.

(Figure in ₹)

CATEGORY OF VEHICLE	FEE FOR SINGLE JOURNEY	FEE FOR RETURN JOURNEY WITHIN A DAY	FEE FOR MONTHLY PASS VALID FOR 50 JOURNEYS
Car, jeep, van or Light motor vehicle	105.00	155.00	3430.00
Light commercial vehicle, Light Goods vehicle or Mini bus	165.00	250.00	5545.00
Bus or Truck (Two axle)	350.00	525.00	11615.00
Heavy construction machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or multi axle vehicle (3 to 6 axle)	545.00	820.00	18220.00
Oversized vehicle (seven or more axles)	665.00	1000.00	22180.00

The rates for monthly fee applicable for local non-commercial vehicle resides within a distance of 20km from the toll plaza for the year 2024-25 shall be Rs. 340.00 (for Fastag users only).

1. The above rates are applicable for a completed length of 70.210 Km.
2. The following concessions are available at above toll plaza:
   (i) Return Journey within 24 hours from time of payment for all categories of vehicles (discount 25% for Fastag users only).
   (ii) 50 or more single journeys in a month from date of payment for all categories of vehicle (discount 33% for Fastag users only).
   (iii) Monthly fee at Rs 340/-per calendar month for non commercial vehicle residing within 20km from Toll plaza (for Fastag users only).
3. All kind of concessions are available through FASTag. For more details, please visit website of Authority www.tis.nhai.gov.in.
4. Exemption from the user fee is applicable through FASTag as prescribed in the User Fee Notification. For more details please visit website of Authority www.tis.nhai.gov.in.
5. The vehicle which is loaded in excess of permissible load, shall pay as per MoRT&H Gazette Notification dated 25.09.2018.
6. As per concession Agreement dated 16th Dec 2009 the concession period ends on 13th June 2035. On expiry of the Agreement specified under sub-rule (3) of rule 3, the fee levied shall be collected by the Central Government or executing authority as the case may be.
7. For viewing the fee notification dated March 08, 2013, March 04, 2016 published in the Gazettes & letter no. 3008 of NHAI dated 23.03.2024 containing approval of revised rates and provisions in the concession agreement, the website http//nhaitis.org may be visited.
8. Name and address are as under, for any enquiry and/or giving complaints /suggestions:

	Concessionaire	IE	PIU of NHAI
Name of Representative	Rakesh Kumar Kataria	Priya Ranjan Kumar	Ajay Arya
Designation	(Sr. General Manager)	(Resident Engineer)	(Project Director)
Address	Barkheda Chandlai Toll Plaza, Main Tonk Road (NH-12) Near Shivdaspura Tehsil- Chaksu District Jaipur- 303903	Toll Plaza at Km. 286, Village. Thikariya, Post Office. Bad ke Balaji, Ajmer Road (NH-8), Jaipur- 302042	D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302 021.
Contact No's:	7976993035	9801380164	0141-2351427

IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD
IRB Jaipur Deoli Tollway Limited
Sonwa Toll Plaza

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर-341001 (राज.), इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-18/879-83 दिनांकः 31/05/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''प्रस्तावित चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना आवेदक मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स Ref- No- 20231000091704, खसरा नं. 765/245, कुल क्लस्टर क्षेत्र- 75.2017 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 2.3095 हेक्टेयर) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,70,325 TPA (ROM) (Saleable of China Clay- 96660 TPA, Saleable of Silica Sand- 44047.5 TPA & Waste- 29617.5 TPA), गांव टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स आर. के. माईन्स एण्ड मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, जायल। 7. तहसीलदार जायल। 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. ग्राम पंचायत, टांगला। 11. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर।, 12. बी.डी.ओ. जायल।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2023/3512 दिनांक 27.05.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

भवदीय (सचिन कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी

नागौर नवज्योति

पर्यावरण दिवस 5 को, पौधे लगाने का दिया निमंत्रण

नागौर। पर्यावरण प्रेमियों ने शनिवार को कृषि मण्डी व्यापार संघ के अध्यक्ष मूलचंद भाटी व पदाधिकारियों को पर्यावरण दिवस 5 जून को मेला मैदान नागौर में पौधे लगाने के लिए पीले चावल बाटकर निमंत्रण दिया। पद्मश्री हिम्मताराम भांभू, पर्यावरण प्रेमी सुखराम चौधरी, व्याख्याता धनराज खोजा ने व्यापार संघ के अध्यक्ष व कृषि उपज मंडी समिति सचिव रघुनाथराम सिंवर को निमंत्रण दिया। व्यापारियों द्वारा 101 पौधे लगाने का आश्वासन दिया गया। सुखराम चौधरी ने बताया कि पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की जाएगी। केशवदासजी बगीची ब्रह्मपुरा के महंत जानकीदास महाराज को पीले चावल बांट करके निमंत्रण दिया गया।

मेड़ता। पानी की मांग को लेकर रास्ता रोकती महिलाएं। -आरिफ अंसारी

मकराना। नहर का पानी पहुंचने पर सरपंच सहित ठेकेदार व अधिकारियों का स्वागत करते लोग। -रवीन्द्र भाटी

पेयजल किल्लत पर महिलाओं ने लगाया जाम

समझाइस के बाद हुआ मामला शांत

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मेड़तासिटी

भीषण गर्मी में एक तो पानी की खपत बढ़ गई, दूसरी ओर पाइप लाइन लिकेज के साथ आगे पर्याप्त नहीं मिल रहा नहरी पानी की आपूर्ति मेड़ता शहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों के लिए गले की फास बन जाने से अधिकारियों को प्रतिदिन लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी महिलाओं ने पानी की किल्लत को लेकर नागौर चौकी के पास स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर कार्यालय के सामने रास्ते को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ ही जलदाय विभाग सहायक अभियता देवेन्द्रसिंह राठौड़, कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार ने समझाईस कर शीघ्र पेयजल आपूर्ति का भरोसा दिलाने के बाद मामला शांत हुआ। व्यापारियों का मोहल्ला से आई महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्या बताकर तुरत समस्या का समाधान करने की मांग की। व्यापारियों के मोहल्ले में करीब एक माह से पेयजल समस्या बनी हुई है। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जीशान कुरेशी ने भी पेयजल समस्या से अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की। सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि गंगाप्रसाद पैट्रोल पम्प के समक्ष पिछले दो माह से नगर पालिका द्वारा नए नाले का निर्माण धीमी गति से किया जा रहा है। नाले निर्माण के लिए बार-बार जेसीबी से खुदाई किए जाने पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। रहो है। पाइप के क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। पिछले एक माह में यहां पर बार-बार पेयजल आपूर्ति की लाइन क्षतिग्रस्त होने से परेशानी बढ़ी है। जब तक नाले का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने में परेशानी हो रही हैं। इसी तरह आज रेणी गेट, रामधाम श्रीदेवल के पास, आखलिया की महिलाओं ने भी पहुचकर नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर रोष जताया।

इधर, नहरी पानी आने पर गामीणों ने जताई खुशी

मकराना। मकराना के ग्राम बूडसू की कूकड़ेद रोड पर स्थित व्यास कॉलोनी में लंबे इतजार के बाद घरों में नहरी परियोजना का मीठा पानी पहुचने पर मोहल्ले वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय सरपंच महावीर कूकना सहित अधिकारियो व ठेकेदार का जोरदार स्वागत किया। मालूम हो कि बूडसू की व्यास कॉलोनी के 15 से 20 घरों में करीब 5 साल पहले नहरी परियोजना के तहत् कनेक्शन तो कर दिए थे मगर उनके घरों तक पानी नही पहुंच पाया। परेशान लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान के बहिष्कार करने का निर्णय भी कर लिया था और दोपहर तक मतदान नही किया। बाद में सरपंच महावीर कूकना ने अधिकारियो व मोहल्ले वासियों से वार्ता कर चुनाव के बाद अतिशीघ्र समस्या के समधान का भरोसा दिलाया तब जाकर शाम को क्षेत्रवासियों ने मतदान किया। एसडीएम सुनील कुमार के निर्देश पर नहरी परियोजना के ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों ने सरपंच महावीर कूकना के निर्देशन में दो दिनों तक कार्य करते हुए प्रयास कर शुक्रवार सुबह मोहल्ले के घरों तक पानी पहुचा हो दिया। प्रोजेक्ट के एक्सईएन नरेंद कुमार वर्मा ने भी शुक्रवार को मोहल्ले का दौरा कर पानी सप्लाई को चैक किया। करीब 5 साल बाद पानी घरों तक पहुचने पर मोहल्ले वासियों ने खुशी जताई व देर शाम मोहल्ले में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय सरपंच महावीर कूकना, नायब तहसीलदार रामावतार वर्मा, विभाग के ठेकेदार रामकरण चोयल, वार्ड पंच विजयलक्ष्मी आदि का माल्यार्पण कर व साफा बधवाकर स्वागत करते हुए आभार जताया। इस मौके पर ओमप्रकाश व्यास, पुसालाल व्यास, मूलचंद, गिरधारीलाल, जगदीश प्रसाद व्यास, सत्यनारायण, श्रवण व्यास, कैलाशचंद व्यास, अमित कुमार, मुकेश कुमार, महावीर प्रसाद व्यास, महावीर प्रसाद, विष्णु, बलबीर, धीरज, पभ, युवराज, कुशाल, किशनलाल, केशव, धर्मेंद्र, प्रतापचंद सहित अनेक ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अवैध रूप से लकड़ी से भरा ट्रक जब्त

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मेड़तासिटी

अवैध लकड़ी रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग मेड़ता की टीम ने कार्यवाही करते हुए अजमेर-मेड़ता हाईवे 58 पर ग्राम नेतड़िया के पास से अवैध रूप से परिवहन की जा रही गिली लकड़ी से भरा ट्रक जब्त करते हुए कार्यवाही की।

उप वन संरक्षक नागौर सुनील कुमार के निर्देशानुसार अवैध लकड़ी परिवहन की रोकथाम को लेकर मेड़ता क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुलजीत जाट के नेतृत्व में शुक्रवार रात्रि गश्त के दौरान एनएच 58 ग्राम नेतड़िया के पास एक ट्रक को अवैध रूप से लकड़ी परिवहन करने पर ट्रक जब्त किया। गश्ती दल में वनपाल जीवनराम ताडा, वन रक्षक चैनाराम खोजा, छोटूराम, मंजू, भंवरलाल बाज्या आदि शामिल रहे। मेड़ता क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुलजीत जाट ने बताया कि अवैध लकड़ी की रोकथाम को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा, इस दौरान गिली लकड़ी से ट्रक जब्ती के बाद रात्रि गश्त बढ़ाते हुए वनपाल एवं वन रक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

मेड़ता। जब्त किया गया गिली लकड़ी से भरा ट्रक। -आरिफ अंसारी

डोडा परिवहन करने के दूसरे आरोपी को भी भेजा जेल

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मेड़तारोड

अहमदाबाद- जम्मूतवी ट्रेन से उतरकर जा रहे दो युवकों के कब्जे से जीआरपी ने 19 किलो 361 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया था। आरोपी सोहनलाल को पूर्व में ही जेल भेजा गया था। दूसरा आरोपी पुखराज विश्नोई का चार दिन का पीसी रिमांड समाप्त होने पर शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। जीआरपी थानाधिकारी लादूराम ने बताया कि आरोपी सोहनलाल विश्नोई को 29 मई को जेल भेजा गया। मगर आरोपी पुखराज विश्नोई को चार दिन का पीसी रिमांड दिया गया। इस कारण उसे शनिवार को न्यायालय में फिर से पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।

युवक के टक्कर मारकर जीप चढ़ाने का प्रयास

वारदात सीसीटीवी में कैद

मकराना। माताभर रोड पर दोस्तों के साथ घर लौट रहे व्यापारी पर पुरानी रंजिश के चलते जीप चालक ने फिल्मी अंदाज में टक्कर मारकर जीप चढ़ाने का प्रयास किया। युवकों ने किसी तरह जान बचाई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। सुबह आरोपी व्यापारी की दुकान पर पहुंच गया और धमकाने लगा जिससे व्यापारी व उसका परिवार दहशत में है। जानकारी के अनुसार गुलजारपुरा मकराना निवासी आसिफ कुरैशी पुत्र महमूद कुरैशी गत 30 मई रात अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर माताभर मार्ग से होते हुए घर लौट रहा था। इस दौरान बिना नंबरी जीप लेकर माताभर रोड मकराना निवासी आरिफ पुत्र युसूफ कुरैशी जीप को तेज गति से चलाते हुए आया और बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार युवक गिर गये। उसके बाद भी आरोपित ने उन पर जीप चढ़ाने का प्रयास किया। आसिफ ने हिम्मत का परिचय देते हुए जीप चालक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह मौके से भागने में कामयाब रहा। गनीमत रही कि बाइक पर सवार तीनों युवक साइड में गिर गये और बुलेट ने उनका बचाव किया हालांकि बाइक को काफी नुकसान हुआ है। यह पूरी वारदात यहां के एक निजी निवास स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके पश्चात शुक्रवार को सुबह आरोपित आसिफ की दुकान पर आया और फिर से जान से मार देने की धमकियां दी।

अपराध-समाचार

मेड़ता क्षेत्र में बाइक चोर सक्रिय

मेड़तासिटी। मेड़ता शहर सहित थाना क्षेत्र में बढ रही बाइक चोरी की वारदातों के तहत फिर से शहर से एक बाइक अज्ञात चोरो ने उडा दी। पुलिस के अनुसार ग्राम फालकी हाल शास्त्री नगर मेड़ता सिटी निवासी बलदेवराम मेघवाल ने मेड़ता पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि शुक्रवार सुबह राजश्री होटल के पीछे वाली गली में वह अपनी बाइक खड़ी करके पादूकला में एक सेवा निवृति कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौटे तो बाइक गायब मिली। मेड़ता पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

भैरून्दा। पीलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मकराना पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी रमेश पुत्र दानाराम जाट को गिरफ्तार कर मेड़ता पोक्सो न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जल्दी ही फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। गौरतलब हो कि थाना क्षेत्र के एक परिवादी ने अपनी नाबालिग दोहिती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच मकराना डिप्टी भवानी सिंह कर रहे हैं।

नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप

नावांसिटी। थानाक्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। थानाधिकारी जोगेन्द्र सिंह राठोड ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री किसी काम से बस स्टैंड गई थी जहा दो युवक जबरन उसे बाइक पर बैठाकर एक होटल में ले गए जहां दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। पीड़िता को आरोपियों ने घटना के बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी को डिटेन किया जो पूछताछ करने पर नाबालिग निकला। वहीं साथी आरोपी की तलाश की जा रही है।

दुर्घटना में टैंपो चालक घायल

नावांसिटी। कस्बे के रेलवे ओवर ब्रिज पर शनिवार को एक नमक के डंपर ने अचानक से ढलान में ब्रेक लगा दिये, जिससे पीछे-पीछे चल रहा इलेक्ट्रोनिक टेंपो अचानक से ब्रेक लगाने से पीछे से डंपर से टकरा गया व टेंपो क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कॉच टूट गया,

जिससे ऑनलाइन साइट का सामान डिलीवरी करने वाला टेंपो चालक सुरेन्द्र सिंह घायल हो गया। घायल को लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, ऐसे ही गत दिनों आरओबी के पास बनी सर्विस रोड जो रेलवे स्टेशन को मिलती है, से रेल की रेक लगने पर नमक लदान के लिए दौड लगाते ट्रेक्टरों में से एक ट्रेक्टर की ट्रॉली के पीछे लगाये गये लकडी के फटे में से एक उछल कर नीचे गिरा, गनीमत रही, कि पीछे कोई दुपहिया या चार पहिया वाहन नहीं चल रहा था, अन्यथा हादसा होना तय था।

महिला के बैंक खाते से उड़ा लिए सवा दो लाख

मकराना थाने व साइबर सेल में की शिकायत

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मकराना।

यूको बैंक में खाताधारक महिला की जानकारी के बिना उसके खाते से दो दिन में सवा दो लाख रुपए निकाल लिये गए। मकराना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने ऑनलाइन साइबर क्राइम सेल में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार यूको बैंक मकराना के खाताधारक संजू रानोलिया पत्नी सतवीर रानोलिया बच्चे की बाहर पढ़ाई के लिए एडमिशन कराने के लिए रुपए जमा करा रही थी। संजू के अनुसार उसके खाते में तीन लाख रुपए थे। वह बैंक से रुपए निकलवाने गई तो पहले बैंक पास बुक में एंट्री करवाई। पासबुक में 30 व 31 मई को दो दिन में तीन बार दो लाख 25 हजार रुपए आहरित होने की जानकारी दी। महिला के अनुसार उसे बैंक से कोई नोटिफिकेशन मैसेज नही मिला न ही फोन पर कोई ओटीपी आई।

मकराना। ठगी की शिकार महिला बैंक के बाहर अपने पुत्र के साथ वेदना सुनाती हुई।

बैंक प्रबंधक चंचल कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को बैंक के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। खाताधारक को किसी प्रकार का नुकसान नही हो, पुलिस जांच में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर, ओटीपी साझा नहीं करनी चाहिए। खाताधारको को चाहिए कि वे यूको बैंक के लिंक वेब से ही डिजिटल लेन देन करे।

चोरी करने वाले ने पूरी घर में करवाई सफेदी, मकान मालिक ने पड़ौसी पर जताया संदेह

सूने मकान से लाखों का माल चोरी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, लाडनूं

जयपुर रहने वाली रताऊ गांव की एक महिला रताऊ स्थित मकान में किसी ने कमरे वगैरह सब खाली करके सारा सामान गायब करने के साथ ही मकान में सफेदी भी कर डाली। इसके बाद ताले भी वापस ज्यों के त्यों लगा दिए। इस बारे में दी गई रिपोर्ट में अपने ही एक पड़ौसी पर चोरी का आरोप लगाया गया है और बताया गया है कि वह उसके मकान का उपयोग अपनी छोटी बहिन की शादी के लिए करना चाहता है। उसने सारा मकान खाली करने के साथ ही सफेदी करवाई है । इससे पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसमें चोर ने रसोई का ताला तोड़ा था और उसकी एफआईआर पुलिस थाना लाडनूं में दर्ज है। पुलिस के अनुसार 70 वर्षीय मूलाराम चौधरी निवासी रताऊ, हाल निवासी देवीनगर, न्यू सांगानेर ने रिपोर्ट में बताया कि उनके घर के रसोई का ताला तोड़ने के संबंध में एफआईआर दर्ज है जिसकी जांच उपअधीक्षक पुलिस लाडनूं कर रहे है। 28 मई को घर पर उपअधीक्षक मय स्टाफ घर का मौका देखने के लिए उसके साथ घर आए। तब मकान के स्टोर व दक्षिणी-पूर्वी कमरे में लगे हुए ताले खोलकर देखा गया, तो कमरा व स्टोर बिल्कुल खाली मिले व सारा सामान गायब मिला। रिपोर्ट में शक जताया गया है पड़ौस में रहने वाले भंवरलाल पुत्र हनुमान बोजा व उसके परिवार ने ही उसके मकान में चोरी की है, क्योंकि कमरों के दरवाजों में लगे ताले हटा कर कमरों में सफेदी की गई है, जो निकट भविष्य में उसकी छोटी बहन की होने वाली शादी के सिलसिले में उक्त कमरों का (खाली करके) उपयोग करने के लिए की गई है व ताले वापिस उसी तरह लगा दिए गए हैं। जांच करने पर एक अटैची, डेढ तोले की सोने को बाली, तीन तोले सोने की चैन, दो तोले की सोने की कंठी, 20 चादी के सिक्के, 1 किलो की दो चांदी की कड़ियां (1 किलों की), एक कूलर, दो ट्रक के तिरपाल सहित घरेलू सामान गायब मिला। मामले की जांच थानाधिकारी सीआई महीराम विश्नोई कर रहे हैं।

रात्रि में रोडवेज बस बाइपास से गुजरी

परिचालक ने महिला यात्री से किया अभद्र व्यवहार, प्रबंधक को की शिकायत

नागौर। रात्रि कालीन समय में रोडवेज बस को मूंडवा कस्बे से निकालने की बजाए बाइपास से निकालने तथा बस परिचालक द्वारा अभद्र व्यवहार करने की शिकायत शनिवार को एक महिला द्वारा रोडवेज प्रबंधक को की गई है। मूंडवा कस्बे की एक महिला की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि वे 31 मई को रोडवेज बस नंबर आरजे 14 पीई 4780 में शाम के समय में सफर कर रही थी। इस दौरान उनके साथ एक 100 प्रतिशत दृष्टि बाधित महिला यात्री होने के चलते उन्होंने परिचालक से बस मूंडवा कस्बे में लेने के लिए आग्रह किया, लेकिन बस परिचालक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा बस कस्बे में नहीं लाने की बजाए बाईपास से निकाला। उन्होंने शिकायत में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी रोडवेज बसों को मूंडवा कस्बे के गांधी चौक, अस्पताल सर्किल, तहसील चौराहा सहित कस्बे के अंदर से होकर गुजरने के लिए पाबंद किया गया है, लेकिन बस परिचालक मनमर्जी करते हैं। उन्होंने इस संबंध में मूंडवा उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की प्रति दी है। उन्होंने बसों को प्रशासन द्वारा तय किए गए निश्चित ठहराव से होकर निकालने की मांग की।

खेत में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

सुजानगढ़ में था सीए

न्यूज सर्विस/नवज्योति, लाडनूं

यहां गोपालपुरा मार्ग पर स्थित सिंघीजी की प्याऊ के पास एक खेत में बनी ढाणी में स्थानीय कुम्हारों का बास निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर सुजानगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव अपने कब्जे में लेकर सुजानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतक परमेश्वर (25) पुत्र माणक चंद शर्मा निवासी शिव मंदिर के पास, कुम्हारों का बास लाडनूं सीए था और वह सुजानगढ़ की किसी फर्म में नौकरी करता था। शुक्रवार को वह अपनी स्कूटी लेकर गोपालपुरा व गणोड़ा रोड के चौराहे पर स्थित सिंघी प्याऊ के पास स्थित अपने खेत मे बनी ढाणी में गया था। उसने वहां पास में ही स्थित मंदिरों में दर्शन भी किए थे। उसकी स्कूटी वहां रोड पर खड़ी देख कर लोगों को संदेह हुआ, तो शाम को पता करने पर पास ही खेत में बनी ढाणी के बरामदे में फांसी का फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस सुजानगढ़ के उप निरीक्षक कमलेश कुमार मय जाप्ता और ह्यटीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार व एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारणिया सहित मौके पर पहुंचे तथा शव को उतारकर सुजानगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच सुजानगढ़ पुलिस कर रही है।

नाम परिवर्तन

✓मैं शाति देवी उर्फ नानूड़ी देवी मेघवाल, निवासी सुदवाड़ तह. रियां बड़ी (नागौर)। मेरे सभी दस्तावेज में मेरा नाम नानूड़ी देवी है जबकि मेरे स्व. पति पूराराम की ओर से बनवाई गई डाक जीवन बीमा बचत खाते के नॉमिनी में मेरा नाम शाति देवी दर्ज है जो गलत है। मेरा सही नाम नानूड़ी देवी है। अतः आज से मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए।

टैरो असली पम्प्स | असली केबल | असली पुर्जे
निर्माता टैक्समो इण्डस्ट्रीज, कोयम्बटूर
अधिकृत विक्रेता Since 1949 वर्मा
8, खाईलैण्ड मार्केट अजमेर, 7878639741
www.vermabuildtechllp.com
DNA 318818

तापमान में आई हल्की गिरावट से राहत

नागौर। जिले में मई के अंतिम सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ने वाली भीषण गर्मी से शनिवार को तापमान में आई हल्की गिरावट से राहत मिली हैं। मौसम विभाग के अनुसा शनिवार को 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार आगामी 48 घंटों में और 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। जिससे लोगों को लू से राहत मिलेगी। वहीं, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ भागों में 2 जून से मेघगर्जन, 40-50 किमी प्रति घंटा तेज आंधी व हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। नागौर में भी 2 जून को झोंकेदार हवाओं के साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे से हवाएं चल सकती है और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

जसनगर। नौतपा की गर्मी ने इस बार हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। सुबह से शाम तक सूर्यदेव की तीखी किरणें व गर्म हवा लोगों के शरीर को झुलसा रही हैं। पारा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। हालत यह है कि भीषण गर्मी में दिन-रात लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। दिनभर धूप से गर्म हुई घरों की छतें व दीवारें ठंडी नहीं होती। इससे पहले फिर सूर्योदय हो जाता है और छतें और दीवारें तपने लगती है। आधी रात तक भी गर्म हवा लोगों को चैन नहीं लेने दे रही। शुक्रवार को जसनगर क्षेत्र में दोपहर 45 में डिग्री एवं शाम होने तक 42 डिग्री तापमान रहा। बाजार व गलियां लोगों की आवाजाही नहीं होने से अधिकांश समय सूनी पड़ी रही। लू के थपेड़ों व गर्मी से राहत के लिए लोग घरों में दुबके रहे। ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। वहीं कस्बे में बन रही इमारतों में मजूदरी करने वाले मजदूरों के धूल से लथपथ उनके चेहरे से पसीने के साथ-साथ थकान और बेबसी भी टपक रही है लेकिन, उनकी हिम्मत का जवाब नहीं, वह काम नहीं रोक रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी उनकी हिम्मत को नहीं पिघला पा रही है।

जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन का इंजन फेल

मेड़तारोड। जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन का इंजन फेल होने से तीन घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। ऐसी प्रचंड गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी अनुसार दिल्ली सरायरोहिल्ला से जोधपुर आने वाली सुपरफास्ट ट्रेन शुक्रवार की रात को 11 10 बजे दिल्ली से रवाना होकर पटौदी रोड़ स्टेशन पहुंची तो यहां से वापिस रवाना नहीं हो सकी। लोको पायलेट कंट्रोलर को दूसरा इंजन भेजने की सूचना दी गई। इस पर दो घंटे बाद दूसरा इंजन मौके पर पहुंचने पर ट्रेन ढाई बजे रवाना हो सकी। इस ट्रेन का मेड़ता रोड पहुंचने का समय सुबह 7.45 बजे का है। मगर यह ट्रेन पौने 11 बजे पहुंच सकी। प्रचंड गर्मी में ट्रेन का इंजन फेल होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मतगणना को लेकर तैयारियां जारी

नागौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून को होगी। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र, जिले के राजस्व क्षेत्र में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, मेगा हाइवे एवं समस्त राजमार्ग तथा समस्त मुख्य जिला सड़कें, अन्य समस्त मुख्य मार्गों व जिले की सीमा में से गुजरने वाली रेलवे पटरी पर तथा उनके दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर की सीमा में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध होगा। साथ ही उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक बैठक का आयोजन सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट व सक्षम पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

ब्रह्मलीन होने वाली पुण्यात्माओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट करें

डिस्प्ले विज्ञापन
- तीये की बैठक
- श्रद्धांजलि
- पुण्यतिथि

प्रिय पाठकों के लिए विशेष रियायती दरें

साइज (वर्ग से.मी.)	दर (रंगीन)
5×8	2000/-
8×8	3200/-
10×8	4000/-
सभी दरों के अलावा 5% जीएसटी अतिरिक्त	

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -
दैनिक नवज्योति 9251097010

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल LiFE
प्रथम माला, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.), ई-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com
क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-18/879-83 दिनांक: 31/05/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना आवेदक मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स Ref- No- 2023100091704, खसरा नं. 765/245, कुल क्लस्टर क्षेत्र- 75.2017 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन क्षेत्र 2.3095 हेक्टेयर) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,70,325 TPA (ROM) (Saleable of China Clay- 96660 TPA, Saleable of Silica Sand- 44047.5 TPA & Waste- 29617.5 TPA), गांव टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स आर. के. माईन्स एण्ड मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, जायल। 7. तहसीलदार जायल। 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. ग्राम पंचायत, टांगला। 11. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर।, 12. बी.डी.ओ. जायल।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3512 दिनांक 27.05.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

भवदीय (सचिन कुमार) क्षैत्रीय अधिकारी
DNA 318880

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर-341001 (राज.), इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-18/879-83 दिनांक: 31/05/2024

पर्यावरणीय स्वीकृति चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''प्रस्तावित चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना आवेदक मैसर्स आर.के. माईन्स एण्ड मिनरल्स Ref- No- 20231000091704, खसरा नं. 765/245, कुल क्लस्टर क्षेत्र- 75.2017 हेक्टेयर, (प्रस्तावित खनन् क्षेत्र 2.3095 हेक्टेयर) अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,70,325 TPA (ROM) (Saleable of China Clay- 96660 TPA, Saleable of Silica Sand- 44047.5 TPA & Waste- 29617.5 TPA), गांव टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चाईना क्ले एवं सिलिका सेंड (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स आर. के. माईन्स एण्ड मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, जायल। 7. तहसीलदार जायल। 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. ग्राम पंचायत, टांगला। 11. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर।, 12. बी.डी.ओ. जायल।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज. सु.2023/3512 दिनांक 27.05.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

भवदीय (सचिन कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी

DNA 318880

||आवेदक||
नागौर (राजस्थान)